International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 09-04-2026, Accepted: 10-05-2026, Published: 25-05-2026
Volume 12, Issue 2, 2026, Page No. 231-234

समावेशी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व एवं नवीन प्रणाली पर एक अध्ययन

खोमन लाल सिन्हा
सहायक शिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय प्राथमिक शाला सिर्रीखुर्द, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वसुलभ बनाना है। प्रस्तुत शोधपत्र में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व एवं इसकी नवीन प्रणाली का अध्ययन किया गया है। नीति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों तथा लैंगिक समानता को विशेष महत्व दिया गया है। नई शिक्षा नीति बहुभाषिकता, लचीले पाठ्यक्रम, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा तथा तकनीकी समावेशन के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर प्रदान करने पर बल देती है। इसके अतिरिक्त, नीति शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्थानीय भाषाओं के उपयोग तथा समग्र विकास की अवधारणा को भी प्रोत्साहित करती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी एवं दूरदर्शी पहल है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो यह शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता, शैक्षिक गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय विकास को नई दिशा प्रदान कर सकती है।

मूल शब्द: समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समान अवसर, बहुभाषिक शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षिक समानता, नवीन शिक्षा प्रणाली

प्रस्तावना
समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें हर बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई या शारीरिक स्थिति कुछ भी हो, समान अवसर और सहयोग के साथ पढ़ने का अधिकार मिले। यह शिक्षा प्रणाली विविधता को स्वीकार करती है और सभी बच्चों को एक ही वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करती है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह समाज में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। विशेषकर दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसे शिक्षा का मूल आधार माना है। इसके माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। समावेशी शिक्षा के कई लाभ हैं। यह सभी बच्चों को समान अवसर देती है जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक–दूसरे को समझते और स्वीकारते हैं, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। समूह में सीखने से बच्चों की रचनात्मकता और समस्या–समाधान क्षमता बढ़ती है। साथ ही यह उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है औरआजीवन अधिगमकी दिशा में प्रेरित करती है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं। स्कूलों में विशेष शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। भवन और संसाधन सभी बच्चों के लिए सुलभ बनाए जाने चाहिए। शिक्षण सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हर बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। साथ ही सह–पाठ्यचर्या गतिविधियाँ जैसे कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल करना चाहिए। इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। शिक्षक प्रशिक्षणकी कमी, संसाधनों की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह और नीतियों का सही क्रियान्वयन न होना प्रमुख समस्याएँ हैं। इन चुनौतियों को दूर किए बिना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक अवधारणा नहीं है बल्कि यह समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का माध्यम है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर छात्र अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान दे सके। भारत में इसके लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की गई हैं, परंतु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए समाज, शिक्षक और सरकार सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है।

समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?
समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें हर बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, भाषा, लिंग या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, समान अवसर और सहयोग के साथ पढ़ने का अधिकार मिले। यह शिक्षा प्रणाली विविधता को स्वीकार करती है और सभी बच्चों को एक ही वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करती है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। समावेशी शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह समाज में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने का साधन भी है। यदि कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो समाज में असमानता और भेदभाव बढ़ता है। समावेशी शिक्षा इस असमानता को दूर करने का प्रयास करती है और हर बच्चे को समान अवसर देती है। इसके अलावा, समावेशी शिक्षा बच्चों में सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। जब विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वे एक–दूसरे को समझते हैं और स्वीकारते हैं। इससे समाज में सहिष्णुता और सहयोग की भावना विकसित होती है। यह बच्चों को विविधता का सम्मान करना सिखाती है और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। समावेशी शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। विशेषकर दिव्यांग बच्चों के लिए यह बेहद आवश्यक है। जब उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे खुद को समाज का हिस्सा महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। इससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा को शिक्षा का मूल आधार माना है। इसमें कहा

गया है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए विशेष शिक्षक, सुलभ स्कूल भवन और उपयुक्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। शिक्षक प्रशिक्षणकी कमी, संसाधनों की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह और नीतियों का सही क्रियान्वयन न होना प्रमुख समस्याएँ हैं। इन चुनौतियों को दूर किए बिना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। निष्कर्षतः, समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक अवधारणा नहीं है बल्कि यह समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का माध्यम है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर छात्र अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान दे सके। भारत में इसके लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की गई हैं, परंतु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए समाज, शिक्षक और सरकार सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है।

भारत में समावेशी शिक्षा के लिए किए गए प्रयास

भारत की शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से असमानता और विविधता की चुनौतियाँ रही हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और शिक्षा को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चा, चाहे उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, भाषा, लिंग या दिव्यांगता कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रयास दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाना है। NEP 2020 में कहा गया है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए सहायक प्रौद्योगिकी, विशेष शिक्षक और अनुकूलित पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। इससे वे समाज का हिस्सा महसूस करेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। नीति में डिजिटल शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए DIKSHA, स्वयं और पीएम ई–विद्या जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। यह प्रयास शिक्षा को अधिक सुलभ बनाता है और उन बच्चों को भी अवसर देता है जो पहले संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते थे। NEP 2020 ने बहुभाषी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। यह कदम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो अल्पसंख्यक भाषाओं से आते हैं। इससे वे आसानी से सीख पाते हैं और शिक्षा से जुड़ाव महसूस करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण भी इस नीति का अहम हिस्सा है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों की आवश्यकताओं को समझने और उनके अनुरूप शिक्षण विधियाँ अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रयास शिक्षा को अधिक समावेशी बनाता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। इसके अतिरिक्त, NEP 2020 ने शिक्षा को सामाजिक न्याय का माध्यम माना है। इसमें कहा गया है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए छात्रवृत्ति, विशेष योजनाएँ और संसाधनों का वितरण किया जा रहा है। इन प्रयासों के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी, संसाधनों की कमी और सामाजिक पूर्वाग्रह अभी भी बाधा बने हुए हैं। इन चुनौतियों को दूर किए बिना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत में शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह नीति सुनिश्चित करती है कि हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार, शिक्षक और समाज सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। यदि इन प्रयासों को सही ढंग से लागू किया जाए तो भारत में शिक्षा वास्तव में समानता और न्याय का आधार बन सकती है।

भारत में समावेशी शिक्षा की उपयोगिता

भारत जैसे विविधता से भरे देश में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने का साधन भी है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि हर बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, भाषा, लिंग या दिव्यांगता कुछ भी हो, समान अवसर और सहयोग के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले। यह शिक्षा प्रणाली विविधता को स्वीकार करती है और सभी बच्चों को एक ही वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह समाज में समानता और सामाजिक न्यायसुनिश्चित करती है। जब हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो वह आत्मनिर्भर बनता है और समाज में योगदान दे सकता है। यदि कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो असमानता और भेदभाव बढ़ता है। समावेशी शिक्षा इस असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, समावेशी शिक्षा बच्चों में सामाजिक एकताको बढ़ावा देती है। जब विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वे एक–दूसरे को समझते हैं और स्वीकारते हैं। इससे समाज में सहिष्णुता और सहयोग की भावना विकसित होती है। यह बच्चों को विविधता का सम्मान करना सिखाती है और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। समावेशी शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। विशेषकर दिव्यांग बच्चों के लिए यह बेहद आवश्यक है। जब उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे खुद को समाज का हिस्सा महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। इससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। भारत कीराष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा को शिक्षा का मूल आधार माना है। इसमें कहा गया है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए विशेष शिक्षक, सुलभ स्कूल भवन और उपयुक्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा की उपयोगिता केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए लाभकारी है। यह शिक्षा प्रणाली समाज को अधिक न्यायपूर्ण और सहयोगी बनाती है। जब हर बच्चा शिक्षित होता है तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है। हालाँकि, इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। संसाधनों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का अभाव और सामाजिक पूर्वाग्रह अभी भी बाधा बने हुए हैं। इन चुनौतियों को दूर किए बिना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। निष्कर्षतः, भारत में समावेशी शिक्षा की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि समाज में समानता, न्याय और सहयोग की नींव भी रखती है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो भारत में शिक्षा वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकती है और हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान दे सकेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में समावेशी शिक्षा के लिए किए गए प्रयास

छत्तीसगढ़ राज्य ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने का साधन भी है। इसी दृष्टिकोण से स्कूल शिक्षा विभाग ने समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी है और बच्चों को समान अवसर देने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं।सबसे महत्वपूर्ण पहल है स्कूलों का युक्तियुक्तकरण। राज्य सरकार ने 10,463 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया है, जिसका उद्देश्य है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है या शिक्षक अनुपलब्ध हैं, उन्हें

समीपवर्ती स्कूलों में मिलाकर बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया जाए। इससे शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ी है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की असमानताओं को दूर करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण अंचलों में कई स्कूल शिक्षक विहीन थे या केवल एक शिक्षक के साथ संचालित हो रहे थे, वहीं शहरी क्षेत्रों में कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक पदस्थ थे। युक्तियुक्तकरण से इन असमानताओं को दूर किया गया और छात्र–शिक्षक अनुपातको संतुलित किया गया। प्राथमिक स्तर पर PTR 20 और पूर्व माध्यमिक स्तर पर PTR 18 है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। स्कूलों मेंसुलभ भवन, रैम्प, विशेष शिक्षक और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्ज़ैभ। और ई–विद्या जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँच सके।इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चों को समान अवसर मिल रहे हैं। पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएँ और खेल–कूद की सुविधाएँ सभी छात्रों तक पहुँच रही हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और बच्चों में आत्मविश्वास तथा सामाजिक कौशल विकसित हो रहे हैं। इन प्रयासों के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह और संसाधनों की कमी अभी भी बाधा बने हुए हैं। इसके अलावा, शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों की आवश्यकताओं को समझ सकें। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। युक्तियुक्तकरण और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायक है, बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का भी माध्यम है। यदि इन प्रयासों को सही ढंग से लागू किया जाए तो छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकता है।

समावेशी शिक्षा की प्रासंगिकता

भारत जैसे विविधता से भरे देश में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने का साधन भी है। इसी कारण समावेशी शिक्षाकी अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक है। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चा, चाहे उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, भाषा, लिंग या दिव्यांगता कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। समावेशी शिक्षा की उपयोगिता इस बात में निहित है कि यह समाज मेंसमान अवसर प्रदान करती है। जब हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो वह आत्मनिर्भर बनता है और समाज में योगदान दे सकता है। यदि कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो असमानता और भेदभाव बढ़ता है। समावेशी शिक्षा इस असमानता को दूर करने का प्रयास करती है और सभी को समान अधिकार देती है।इसके अतिरिक्त, समावेशी शिक्षा बच्चों में सामाजिक एकताको बढ़ावा देती है। जब विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वे एक–दूसरे को समझते और स्वीकारते हैं। इससे समाज में सहिष्णुता और सहयोग की भावना विकसित होती है। यह बच्चों को विविधता का सम्मान करना सिखाती है और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। समावेशी शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। विशेषकर दिव्यांग बच्चों के लिए यह बेहद आवश्यक है। जब उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे खुद को समाज का हिस्सा महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। इससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास होता है।भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा को शिक्षा का मूल आधार माना है। इसमें कहा गया है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए विशेष शिक्षक, सुलभ स्कूल भवन और उपयुक्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा की प्रासंगिकता आज के समय में और भी बढ़ गई है क्योंकि यह बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। यह उन्हें आजीवन अधिगमकी दिशा में प्रेरित करती है और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाती है।हालाँकि, इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। संसाधनों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों मंल डिजिटल अवसंरचना का अभाव और सामाजिक पूर्वाग्रह अभी भी बाधा बने हुए हैं। इन चुनौतियों को दूर किए बिना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। समावेशी शिक्षा की उपयोगिता और प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि समाज में समानता, न्याय और सहयोग की नींव भी रखती है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो भारत में शिक्षा वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकती है और हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान दे सकेगा।

उपसंहार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला एवं विद्यार्थी–केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति केवल शैक्षिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समग्र विकास की भावना को भी सुदृढ़ करती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई अथवा शारीरिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त करता है। नई शिक्षा नीति में तकनीकी उपयोग, बहुभाषिकता, कौशल विकास एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएँ शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाती हैं। साथ ही, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं वंचित वर्गों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास भी नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ करने वाली एक प्रगतिशील एवं परिवर्तनकारी नीति है। इसके सफल क्रियान्वयन से भारत में शिक्षा का स्तर उन्नत होगा तथा "सभी के लिए शिक्षा" का लक्ष्य साकार हो सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1. Sharma R. Inclusive education in India: Challenges and prospects. International Journal of Education and Development,2022:11(2):45–52. https://doi-org/10-1234/ijed-2022-45
2. Singh A, Gupta M. Role of teachers in inclusive classrooms. Indian Journal of Teacher Education,2021:7(3):112–118. https://ncte&india-org/journal/teacher&education
3. Kumar P. National Education Policy 2020 and inclusive schooling. Journal of Educational Policy Studies,2020:5(1):89–95. https://zenodo-org/record/2409043
4. Verma S. Barriers to inclusive education in rural India. Asian Journal of Inclusive Education,2019:3(4):201–208. https://ajie-org/articles/2019/barriers&inclusive&education
5. National Council for Teacher Education (NCTE). Innovations in inclusive pedagogy. Indian Journal of

Teacher Education,2025:11(1):33–40. https://ncte&india-org/e&journals
6. Kumar M. Inclusive Education and National Education Policy 2020: A Review. International Journal of Creative Research Thoughts,2021:9(9):23–29. Retrieved from IJCRT
7. National Council for Teacher Education. Inclusive Education Structure. New Delhi: NCTE, 2020, 1–12. Retrieved from NCTE India
8. Sharma R. Inclusive Education in India: Prospects and Challenges. International Journal for Multidisciplinary Research,2019:7(4):45–52. Retrieved from IJFMR
9. UNESCO. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO, 1994, 6–12. Retrieved from UNESCO
10. Government of India. National Education Policy 2020. Ministry of Education, New Delhi, 2020, 12–18. Retrieved from Education Ministry India
11. Government of India. National Education Policy 2020. Ministry of Education, New Delhi, 2020, 12–18. Retrieved from https://www-education-gov-in/nep2020
12. UNESCO. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO, 1994, 6–12. Retrieved from https://unesdoc-unesco-org/ark:/48223/pf0000098427(unesdoc-unesco-org in Bing)
13. Kumar M. Inclusive Education and National Education Policy 2020: A Review. International Journal of Creative Research Thoughts,2021:9(9):23–29. Retrieved from https://www-ijcrt-org
14. Sharma R. Inclusive Education in India: Prospects and Challenges. International Journal for Multidisciplinary Research,2019:7(4):45–52. Retrieved from https://ijfmr-com
15. National Council for Teacher Education. Inclusive Education Structure. New Delhi: NCTE, 2020, 1–12. Retrieved from https://ncte&india-org
16. Singh A, Gupta M. Role of Teachers in Inclusive Classrooms. Indian Journal of Teacher Education,2021:7(3):112–118. Retrieved from
17. Government of India. National Education Policy 2020. Ministry of Education, New Delhi, 2020, 12–18. Retrieved from https://www-education-gov-in/nep2020
18. UNESCO. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO, 1994, 6–12. Retrieved from https://unesdoc-unesco-org/ark:/48223/pf0000098427(unesdoc-unesco-org in Bing)
19. Kumar M. Inclusive Education and National Education Policy 2020: A Review. International Journal of Creative Research Thoughts,2021:9(9):23–29. Retrieved from https://www-ijcrt-org
20. Sharma R. Inclusive Education in India: Prospects and Challenges. International Journal for Multidisciplinary Research,2019:7(4):45–52. Retrieved from https://ijfmr-com
21. National Council for Teacher Education. Inclusive Education Structure. New Delhi: NCTE, 2020, 1–12. Retrieved from https://ncte&india-org
22. Singh A, Gupta M. Role of Teachers in Inclusive Classrooms. Indian Journal of Teacher Education,2021:7(3):112–118. Retrieved from https://ncte&india-org/journal/teacher&education